

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 11.10.2022 को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना, वन संरक्षक की अध्यक्षता में आहूत "वृक्ष सुरक्षा योजना" की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. डॉ० गोपाल सिंह, भा०व०से०,	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना	अध्यक्ष
2. डॉ० गोपाल सिंह, भा०व०से०,	वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना	सदस्य
3. श्री एस० सुधाकर, भा०व०से०	वन संरक्षक, गया अंचल, गया	सदस्य
4. श्री विकास अहलावत, भा०व०से०	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ	सदस्य सचिव
5. श्री अम्बरीष कुमार मल्ल, भा०व०से०	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना	सदस्य सचिव
6. श्री राज कुमार एम, भा०व०से०	वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा	सदस्य सचिव
7. श्री राजीव रंजन, भा०व०से०	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया	सदस्य सचिव
8. श्री शशिकांत कुमार, भा०व०से०,	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना	आमंत्रित सदस्य

कार्यवाही :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.10.2019 द्वारा गठित समिति की बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। उक्त बैठक में वन प्रमंडल गया/पटना/नालन्दा/भोजपुर वन प्रमंडलों के तहत वनभूमि/सरकारी गैर वनभूमि पर अवस्थित वैसे वृक्षों, जिनका पुनर्स्थापन/पातन अनिवार्य/अपरिहार्य हो गया है, उनके पुनर्स्थापन/पातन पर विचार हेतु उक्त प्रमंडलों के अधीन निम्न परियोजनाओं के लिए वृक्ष सुरक्षा योजना (Tree Protection plan) प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:-

गया जिलान्तर्गत एन०एच०-120 (गया-बाईपास) 92.935-99.685 कि०मी० पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत 25.65 हे० वनभूमि का अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

गया जिलान्तर्गत एन०एच०-120 (गया-बाईपास) 92.935-99.685 कि०मी० पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत 25.65 हे० वनभूमि का अपयोजन के प्रस्ताव हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल द्वारा स्थलीय निरीक्षणोपरांत उनके पत्रांक 4715 दिनांक 17.09.2022 द्वारा प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताये गये बैठक में तथ्यों के अनुसार पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है:-

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	स्था स्थिति	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गया वन प्रमंडल, गया	कार्यपालक अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गया	गया जिलान्तर्गत एन०एच०-120 (गया-बाईपास) 92.935-99.685 कि०मी० पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत 25.65 हे० वनभूमि का अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।	1289	1126	0	163	

समिति के अनुशंसा:-

विमर्शोपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि:-

1. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 1289 वृक्षों में से 1126 वृक्षों के पुनर्स्थापन एवं 163 वृक्षों के पातन के कार्य उनके स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प०व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या-178 (ई) प०व०, पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।

3. वृक्षों के पुनर्स्थापन/पातन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
 4. पुनर्स्थापित वृक्षों का उत्तरजीविता प्रतिवेदन मासिक तौर पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
 5. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर पातित वृक्षों के काष्ठ एवं जलावन के टुकड़ों को परिवहन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा निर्धारित वनागार में पहुँचाने का कार्य किया जायेगा।
2. कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी प्रमंडल, पटना नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत वार्ड सं०-03 के अधीन धनौत पोस्ट ऑफिस से ब्रह्मस्थानी मंदिर तक भू-गर्भ नाला एवं पी.सी.सी. से संबंधित वृक्षों के पातन हेतु प्रस्ताव।

पटना जिलान्तर्गत कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी प्रमंडल, पटना नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत वार्ड सं०-03 के अधीन धनौत पोस्ट ऑफिस से ब्रह्मस्थानी मंदिर तक भू-गर्भ नाला एवं पी.सी.सी. के निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना द्वारा स्थलीय निरीक्षणोंपरांत उनके ज्ञापांक 2871 दिनांक 19.09.2022 द्वारा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताये गये बैठक में तथ्यों के अनुसार पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है:-

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अम्मुवित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पटना वन प्रमंडल, पटना	कार्यपालक अभियंता नूतन राजधानी प्रमंडल, पटना नगर निगम, पटना	ब्रह्मस्थानी मंदिर तक भू-गर्भ नाला एवं पी.सी.सी. से संबंधित वृक्षों के पातन/पुनर्स्थापन हेतु प्रस्ताव।	12	0	07	05	06 ताड़ वृक्ष का पातन

समिति के अनुशंसा:-

विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि-

1. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 12 वृक्षों में से 07 वृक्षों को यथास्थिति रखते हुए 05 ताड़ वृक्षों के पातन के कार्य उनके स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
 2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या-178 (ई) प0व, पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
 3. वृक्षों के पातन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
 4. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर पातित वृक्षों के काष्ठ एवं जलावन के टुकड़ों को परिवहन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना द्वारा निर्धारित वनागार में पहुँचाने का कार्य किया जायेगा।
3. पटना जिला के (विधान सभा क्षेत्र-178 एवं 179) अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घोसवरी के निर्माण कार्य हेतु कार्यस्थल पर उपलब्ध वृक्षों को पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्ताव।

पटना जिलान्तर्गत के (विधान सभा क्षेत्र-178 एवं 179) अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घोसवरी के निर्माण कार्य हेतु कार्यस्थल पर उपलब्ध वृक्षों को पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना द्वारा स्थलीय निरीक्षणोंपरांत उनके ज्ञापांक 2935 दिनांक 30.09.2022 द्वारा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताये गये बैठक में तथ्यों के अनुसार पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है:-

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अम्मुवित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पटना वन प्रमंडल, पटना	उपमहाप्रबंधक (परियोजना), BMSICL, शास्त्रीनगर, पटना	पटना जिला के (विधान सभा क्षेत्र-178 एवं 179) अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घोसवरी के निर्माण कार्य हेतु कार्यस्थल पर उपलब्ध वृक्षों को पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्ताव।	05	0	02	03	

समिति के अनुशंसा-

विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि-

1. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 05 वृक्षों में से 02 वृक्षों को सहायस्थिति रखते हुए 03 वृक्षों के पातन के कार्य उनके स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या-178 (ई) प0व0, पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई0) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. वृक्षों के पातन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर पातित वृक्षों के काष्ठ एवं जलावन के टुकड़ों को परिवहन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना द्वारा निर्धारित वनागार में पहुँचाने का कार्य किया जायेगा।
4. Construction of Rajgir Elevated Corridor from Vanganga to SDM office (NH-82) पथ पर मौजूद विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के पातन/पुनर्स्थापन की अनुमति हेतु प्रस्ताव समर्पित करने के संबंध में प्रस्ताव।

नालन्दा जिलान्तर्गत Construction of Rajgir Elevated Corridor from Vanganga to SDM office (NH-82) पथ पर मौजूद विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ द्वारा स्थलीय निरीक्षणोपरांत उनके पत्रांक 2748 दिनांक 20.09.2022 द्वारा प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताये गये बैठक में तथ्यों के अनुसार यथा रिथिति/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नपु है:-

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अनुवृत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ	कार्यपालक अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल-2, बिहारशरीफ।	Construction of Rajgir Elevated Corridor from Vanganga to SDM office (NH-82) पथ पर मौजूद विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के पातन/पुनर्स्थापन की अनुमति हेतु प्रस्ताव	2810	2741	0	69	

समिति के अनुशंसा-

विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि-

1. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 2810 वृक्षों में से 2741 वृक्षों के पुनर्स्थापन एवं 69 वृक्षों के पातन के कार्य उनके स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या-178 (ई) प0व0, पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई0) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. वृक्षों के पुनर्स्थापन/पातन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
4. पुनर्स्थापित वृक्षों का उत्तरजीवितता प्रतिवेदन मासिक तौर पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर पातित वृक्षों के काष्ठ एवं जलावन के टुकड़ों को परिवहन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ द्वारा निर्धारित वनागार में पहुँचाने का कार्य किया जायेगा।
5. नालन्दा जिलान्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-33 (पुराना NH-110) के कि०मी० 73वें में पुराने क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर चौड़े पुलिया निर्माण कार्य हेतु भू-खण्ड पर विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के पातन/पुनर्स्थापन की अनुमति हेतु प्रस्ताव समर्पित करने के संबंध में।

नालन्दा जिलान्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-33 (पुराना NH-110) के कि०मी० 73वे में पुराने क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर चौड़े पुलिया निर्माण कार्य हेतु भू-खण्ड पर विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के पातन/पुनर्स्थापन हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ द्वारा स्थलीय निरीक्षणोपरांत उनके पत्रांक 2749 दिनांक 20.09.2022 द्वारा प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया एवं बैठक में उनके

द्वारा बताये गये तथ्यों के अनुसार यथा स्थिति/पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है:-

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ	कार्यपालक अनिवार्यता राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल-2 बिहारशरीफ।	नालन्दा जिलान्तर्गत उच्च पथ सं०-33 (पुराना NH-110) के कि०मी० 73वें में पुराने क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर चौड़े पुलिया निर्माण कार्य हेतु भू-खण्ड पर विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के पातन/पुनर्स्थापन की अनुमति हेतु प्रस्ताव।	34	14	01	19	01 टीफल प्रजाति का वृक्ष को परिरक्षित किया जाना है।

समिति के अनुशंसा-

विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि-

1. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 34 वृक्षों में से 14 वृक्षों के पुनर्स्थापन एवं 01 वृक्ष को परिरक्षित रखते हुए 19 वृक्षों के पातन के कार्य उनके स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प०व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या-178 (ई) प०व०, पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. वृक्षों के पुनर्स्थापन/पातन का कार्य प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
4. पुनर्स्थापित वृक्षों का उत्तरजीविता प्रतिवेदन मासिक तौर पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा के संमक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा स्वयं के व्यय पर प्राप्ति वृक्षों के काष्ठ एवं जलावन के टुकड़ों को परिवहन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ द्वारा निर्धारित बानागर में पहुँचाने का कार्य किया जायेगा।
6. नावानगर अंचल अंतर्गत चीनी मिल की भूमि से सड़क निर्माण के लिए पेड़ों का पातन हेतु प्रस्ताव।

भोजपुर जिलान्तर्गत नावानगर अंचल अंतर्गत चीनी मिल की भूमि से सड़क निर्माण के लिए पेड़ों का पातन हेतु प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा द्वारा स्थलीय निरीक्षणोपरांत उनके ज्ञापांक 1791 दिनांक 29.09.2022 द्वारा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताये गये बैठक में तथ्यों के अनुसार पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है:-

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	भोजपुर वन प्रमंडल, आरा	कार्यकारी निदेशक, (प्र०) वियाडा, पटना	नावानगर अंचल अंतर्गत चीनी मिल की भूमि से सड़क निर्माण के लिए पेड़ों का पातन हेतु प्रस्ताव।	25	0	02	23	

समिति के अनुशंसा-

विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि-

1. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 25 वृक्षों में से 02 वृक्षों को यथास्थिति रखते हुए 23 वृक्षों के पातन के कार्य उनके स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प०व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या-178 (ई) प०व०, पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. वृक्षों के पातन का कार्य प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

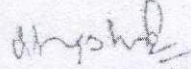
4. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर पातिल वृक्षों के काष्ठ एवं जलावन के टुकड़ों को परिवहन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमण्डल, आरा द्वारा निर्धारित वनागार में पहुँचाने का कार्य किया जायेगा।

बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


वन प्रमंडल पदाधिकारी,
गया वन प्रमंडल,
गया।


वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पटना वन प्रमंडल,
पटना।


वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमंडल,
बिहारराष्ट्रिय।


वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पटना पार्क प्रमंडल,
पटना।


वन प्रमंडल पदाधिकारी,
भोजपुर वन प्रमंडल,
आरा।


वन संरक्षक,
गया अंचल, गया।


वन संरक्षक,
पटना अंचल, पटना।


क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
पटना।



बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार
कार्यालय-क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना।

राईडिंग रोड (वीर अली मार्ग), अरुण्य मदन, द्वितीय तल, पटना-800014
दूरभाष संख्या-0812-2226144; ई-मेल: patnarecc@gmail.com

ज्ञापांक:- 1011

दिनांक 19 / 10 / 2022 ई०।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना/गया अंचल, गया/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पटना/नालन्दा/भोजपुर एवं गया वन प्रमण्डल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


(डॉ० गोपाल सिंह)